राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 35/019 आर सी एम सए नं0 2019/00058 तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :–प्रार्थी

बनाम

1 जगमोहनसिंह पुत्र दलसिंह

2 गुमानसिंह पुत्र दलसिंह

3 असर्फी देवी पत्नि गोपालसिंह

4 महेन्द्र सिंह पुत्र गोपालसिंह

5 दिनेश सिंह पुत्र गोपालसिंह

6 कप्तानसिंह पुत्र गोपालसिंह

} समस्त जातियान राजपूत निवासीयान कुढावल तहसील टोडाभीम जिला करौली

7 हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैक शाखा टोडाभीम जिला करौली

8 बैंक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट

9 एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई. शाखा टोडाभीम जिला करौली

– अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः– 1 श्री रामकुमारसिंह राजावत वकील अप्रार्थी नं. 1ता 6

2 श्री रामभरोसी गुप्ता वकील अप्रार्थी नं. 7 व 8

3 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय दिनांकः–28.11.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 259 रकवा 1.20 है0., 360 रकवा 0.01 है0 362 रकवा 1.02 है0 ग्राम कुढावल तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 142/2 रकवा 1 वीघा 7 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन तलाई के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2019 से 22 यह भूमि दलसिंह पुत्र सलैसिंह राजपूत निवासी कुढावल के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 142/2 का नवीन खसरा नम्बर 259 रकवा 1.20 है0., 360 रकवा 0. 01 है0 362 रकवा 1.02 है0 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थीयान 1 ता 8 के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8. 1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 259 रकवा 1.20 है0., 360 रकवा 0.01 है0 362 रकवा 1.02 है0 वाके ग्राम कुढावल को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन तलाई को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी,मिसल बंदोवस्त सम्बत 2019 से 22 नकल जमाबंदी सम्बत 2014 से 17 मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबदी संम्बंत 2071 से 2074 तक खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नं. 1 व 6 जरिये बकालान्तन उपस्थित आयो किन्तु काफी अवशर दिये जाने के वाबजूद कोई जवाव पेश नही किया गया जिसे दिनांक 20.11.2019 को बंद किया गया। एवं पैरोकार सरकार उपस्थित है। अप्रार्थी नं. 7 व 8 की ओर जवाव पेश कर बताया गया है कि अप्रार्थी नं. 1 ता 6 ने हमारी शाखा से कास्त कृषि कार्य हेतू ऋण लिया हुआ है जिसका अभी चूकता नही हुआ है सम्पूर्ण ऋण की अदायगी नही हो तब तक रेफरेन्स स्वीकार नही करने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुर रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के अनुसार सही पेश किया गया है जिसकी ताहीद में साविक व हाल रिकॉर्ड सामिल पत्रावली है जिसमे भूमि गैर मु. तलाई थी जिसे आवंटन गलत तरीके से किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी नं. 6व 7 ने अपने बहस कथन मे अपने जवाव को दोहराते हुए कथन कहा कि जब तक सम्पूर्ण ऋण की अदायगी नही हो तब तक प्रार्थी का रेफरेन्स स्वीकार नही फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थीयान एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाव एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बंत 2014 से 17 एवं 19 से 22 के खाता संख्या 1 मे आराजी खसरा नं. 142/2 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा एवं 142/1 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा किस्म से गै0 मु0 तलाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है जिसके भूप्रवंध विभाग द्वारा हाल खसरा नं. 359 360,362 कुल किता 3 कुल रकवा 2.23 है0 भूमि कायम की गई है। इस आराजी मे से अप्रार्थी दलसिंह पुत्र सलैसिंह राजपूत को आराजी खसरा नं. 142/2 रकवा 2 वीधा 7 विस्वा गैर मु. तलाई को खातेदारी में आवंटन से दर्ज कर दिया गया है जिसमे हाल रिकॉर्ड जमाबंदी सम्बंत 2071 से 74 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज होकर कास्त कर रहे है ओर इस भूमि का अप्रार्थी नं. 7 व 8 के यहा पर रहन रख दी गई है जहा पर वकील अप्रार्थी संख्या 7 व 8 का कथन है कि भूमि पर बहा पर यह है कि बैक के यहा पर गिरवी रख कर भूमि को रहन रखा गया है। बहा पर यह है कि इस आराजी के अलावा अप्रर्थी के नाम अन्य भूमि है। उस आराजी से अपना ऋण चूकता कर सकते है। यहा पर यह है कि भूमि साविक रिकॉर्ड में गैर मु0 तलाई थी अप्रार्थी नं. 1ता 6 के पूर्वज को गलत तरीके से भूमि का आवंटन होकर खातेदारी मे दर्ज हुई है ओर बाद में उसे बैक के यहा पर रहन रख दिया गया है। जो अवैद्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत उपनियम 1 ता 14 मे वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गोचर, झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वतः ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 259 रकवा 1.20 है0., 360 रकवा 0. 01 है0 362 रकवा 1.02 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 2.23 है0 मे से 0.59 है0 यानी साविक रकवा 2 वीघा 7 विस्वा ग्राम कुढावल तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2014 से 2017 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन तलाई दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.01.21 16:02:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: